संख्या-46/2016/686/नौ-5-16-28बजट/2016

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, टूण्डला,
जनपद-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, टूण्डला में जल निकासी के कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, टूण्डला जनपद-फिरोजाबाद के पत्र संख्या-973/न0पा0प0 टूण्डला/2015-16, दिनांक 04.02.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, टूण्डला में जल निकासी के कार्यो हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित 12 विभिन्न नालों के निर्माण से सम्बन्धी कार्यो के लिये प्रस्तावित कार्य योजना के सापेक्ष ₹ 290.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 145.00 लाख (रू0 एक करोड़ पैंतालिस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर निगमों द्वारा रू0 50.00 लाख तक, नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/ कार्यदायी संस्था /जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी में न हीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-46/2016/686 (1)/नौ-5-15-28बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा।
3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4- कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) अनुभाग-3
10- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, टूण्डला।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-46/2016/686/नौ-5-16-28बजट/2016 दिनांक 17 मार्च, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	फिरोजाबाद	नगर पालिका परिषद्, टूण्डला	1. स्टेशन रोड भगवती प्रसाद धर्मशाला से कोतवाली तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.10	
			2. स्टेशन रोड टूण्डली रोड, स्टेट टेलर्स की दुकान से लल्ला बाबू तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.11	
			3. स्टेशन रोड टीटू नीटू की दुकान से अग्रवाल गिफ्ट सेन्टर दुकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.98	
			4. स्टेशन रोड आर्य समाज मन्दिर से श्रीराम बैण्ड वाले की दुकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.82	
			5. स्टेशन रोड सुहाग बैण्ड वाली दुकान से बौम्बे रेडीमेड कपड़ा की दुकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.48	
			6. स्टेशन रोड विजय ज्वैलर्स की दुकान से संदीप सरिया वाली दुकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.12	
			7. स्टेशन रोड डा0 अलका शुक्ला मैरिज होम से जी0जी0 आई0सी0 तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.77	
			8. स्टेशन रोड जी0जी0आई0सी0 पर शुलभ शौचालय के समीप जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.11	
			9. स्टेशन रोड डा0 अशोक जैन के समीप जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.98	
			10. स्टेशन रोड केनरा बैंक से परिवार होटल तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.81	
			11. स्टेशन रोड रामाश्रम गेट से अली स्टील तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.48	
			12. स्टेशन रोड चन्द्रवाटिका के समीप जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.98	
			योग	290.74	145.00

(रू0 एक करोड़ पैंतालिस लाख मात्र)

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-17/03/2016

प्रेषण संख्या:- 46

आवंटन आदेश संख्या:- 001-46-2016-686-9-5-16-28B-2016

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

107 - मल - जल सेवाएं

03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14500000 62120000	14500000 62120000
	योग	वर्तमान प्रगामी	14500000 62120000	14500000 62120000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पैंतालीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ इक्कीस लाख बीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी